

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4310
उत्तर दिनांक 26/03/2025 को दिया गया

तमिलनाडु में नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

4310. थिरु दयानिधि मारन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) तमिलनाडु के लिए नियोजित अथवा विचाराधीन नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा है;
- (ख) उक्त अवधि के लिए विचाराधीन विशिष्ट जिलों को दर्शाते हुए इन परियोजनाओं के दायरे और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन परियोजनाओं से तमिलनाडु में स्थानीय अर्थव्यवस्था और समुदायों को क्या लाभ प्राप्त होगा;
- (घ) निर्माण चरण के दौरान आस पास के क्षेत्रों में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) इन नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के दौरान और उसके बाद सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार की इन परियोजनाओं से संबंधित फीडबैक एकत्र करने और स्थानीय समुदायों तथा हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए उनके साथ किस प्रकार से जुड़ने की योजना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) व (ख) तमिलनाडु राज्य में 2440 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार नाभिकीय विद्युत संयंत्र [एमएपीएस 1 व 2 (2X220 मेगावाट) और केकेएनपीपी 1 व 2 (2X1000 मेगावाट)] प्रचालित हैं। इसके अतिरिक्त, भाविनि द्वारा वर्तमान में चेंगलपट्टू जिला, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना का कमीशनन किया जा रहा है। एनपीसीआईएल कुडनकुलम में

4000 मेगावाट क्षमता के साथ चार इकाइयों - केकेएनपीपी 3 व 4 (2X1000 मेगावाट) और केकेएनपीपी 5 व 6 (2X1000 मेगावाट) का निर्माण कर रहा है।

- (ग) इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान, आस-पास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन और व्यवसाय के अवसरों से स्थानीय समुदाय की आजीविका में वृद्धि होने की संभावना है।
- (घ) चूंकि परियोजना स्थल पहले से ही अनुमोदित है और इन परियोजनाओं के लिए नए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निर्माण चरण के दौरान आस-पास के क्षेत्र में किसी व्यवधान की संभावना नहीं है।
- (ङ) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन आदि में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प गहन संरक्षा, पुनरावृत्ति तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों और 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताओं के आधार पर किया जाता है और इस प्रकार रेडियोसक्रियता के स्रोत और पर्यावरण के बीच कई सुरक्षात्मक अवरोध सुनिश्चित किए जाते हैं। इनका प्रचालन उच्चतम योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है।
- (च) सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर नियमित जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदाय की चिंताओं का समाधान किया जाता है।
